

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी
नीमच (म.प्र.) 458441



Government of India
Ministry of Finance,
Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Dy. Narcotics Commissioner
"Narcotics House", Rajasva Colony
Neemuch (M.P.) 458 441
e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in


EPABX-07423-223030

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2024/सीबीएन/नीमच में जब्त पशु आहार के कुल 190 कट्टे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच(म.प्र.) के विभागीय मालखाने में रखे हुए हैं जिनकी माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, जिला मंदसौर (म.प्र.) के आदेशानुसार नीलामी की कार्यवाही की जानी है। उक्त पशु आहार के कट्टों की नीलामी दिनांक 18.07.2024 को समय 11:00 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, के. ना. ब्यु., नीमच (म.प्र.) परिसर में प्रस्तावित है। इच्छुक बोलीकर्ता दिनांक 16.07.2024 को कार्यालय समयांतराल 09:30-18:00 में उक्त कट्टों का अवलोकन कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

- प्रस्तावित कट्टों के विक्रय हेतु सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को उक्त पशु आहार के कट्टे सौंपे जायेंगे।
- उक्त पशु आहार के परिवहन हेतु वाहन व मजदूरों से सम्बंधित समस्त व्यय स्वयं बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- पशु आहार की प्रस्तावित दर पर वास्तविक क्रेता (अधिकतम बोलीकर्ता) को मूल राशी बैंकर चेक/डीडी के माध्यम से श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, के. ना. ब्यु., नीमच (म.प्र.) की अनुमति की प्राप्ति के दो दिन के भीतर जमा करनी पड़ेगी एवं पशु आहार के कट्टों को विभागीय मालखाने से दो दिन में ले जाना होगा।
- बोलीकर्ता को बोली से पूर्व बयाना राशि रूपये 5000/- (लौटाने योग्य) नकद जमा कराने होंगे तथा अपनी पहचान हेतु पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। दौराने नीलामी उच्चतम बोली न्यूनतम आरक्षित दर से अधिक को रिकॉर्ड किया जाएगा।
- अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा पशु आहार ले जाने के पश्चात क्रय/विक्रय सम्बंधित समस्त करों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
- नीलामी के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने के अधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, के. ना. ब्यु., नीमच (म.प्र.) के पास होंगे।


11/7/24
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)